दिनांक 22.08.2024
प्रेस विज्ञप्ति 29/2024

मुख्यालय पुलिस महानिदेशक, उत्तर प्रदेश।

जनपद कुशीनगर/थाना कोतवाली पड़रौना

- **पुलिस कार्यवाही में 25 हजार रूपये का पुरस्कार घोषित अभियुक्त गिरफ्तार**
- **19 हजार 600 रूपये नगद**
- **चोरी की 01 मोटर साइकिल**
- **01 मोबाइल फोन**
- **01 अवैध तमंचा 315 बोर मय जीवित/खोखा कारतूस आदि बरामद**

दिनॉकः 21/22.08.2024 की रात्रि थाना कोतवाली पड़रौना व क्राइम ब्रान्च की संयुक्त पुलिस टीम द्वारा सूचना के आधार पर लम्हुआ शिव मन्दिर नहर पटरी के पास बदमाश की घेराबन्दी की गयी तो बदमाश ने पुलिस टीम पर जान से मारने की नियत से फायरिंग कर दी। पुलिस टीम द्वारा की गयी आत्मरक्षार्थ कार्यवाही में अभियुक्त छोटे घायल हो गया, जिसे गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार अभियुक्त के कब्जे/निशादेही से 19 हजार 600 रूपये नगद, चोरी की 01 मोटर साइकिल, 01 मोबाइल फोन,01 अवैध तमंचा 315 बोर मय जीवित/खोखा कारतूस आदि बरामद हुये। घायल को उपचार हेतु अस्पताल भेजा गया।

उल्लेखनीय है कि गिरफ्तार अभियुक्त थाना कोतवाली पड़रौना पर पंजीकृत अभियोग में वॉछित चल रहा था, जिसकी गिरफ्तारी हेतु जनपद स्तर से 25 हजार रूपये का पुरस्कार घोषित था। गिरफ्तार अभियुक्त के विरूद्ध जनपद कुशीनगर के विभिन्न थानों पर चोरी, आर्म्स एक्ट आदि 08 अभियोग पंजीकृत हैं।

इस सम्बन्ध में थाना कोतवाली पड़रौना पुलिस द्वारा अभियोग पंजीकृत कर विधिक कार्यवाही की जा रही है।

गिरफ्तार अभियुक्त

1–छोटे निवासी अमडरिया थाना रामकोला जनपद कुशीनगर।

बरामदगी

1–19 हजार 600 रूपये नगद।

2–चोरी की 01 मोटर साइकिल।

3–01 मोबाइल फोन।

4–01 अवैध तमंचा 315 बोर मय जीवित/खोखा कारतूस आदि।

जनपद बदायूं/थाना इस्लामनगर

- **पुलिस कार्यवाही में 25 हजार रूपये का पुरस्कार घोषित अभियुक्त सहित 02 अभियुक्त गिरफ्तार**
- **01 अवैध तमंचा 315 बोर मय जीवित/खोखा कारतूस**
- **01 टैम्पों वाहन आदि बरामद**

दिनॉकः 21/22.08.2024 को थाना इस्लामनगर व क्राइम ब्रान्च की संयुक्त पुलिस टीम द्वारा सूचना के आधार पर अभियुक्त 1–फिरोज को गिरफ्तार किया गया, जिसकी निशादेही पर विक्रमपुर चरसौरा मोड़ बिल्सी रोड के पास बदमाश की घेराबन्दी की गयी तो बदमाश ने पुलिस टीम पर जान से मारने की नियत से फायरिंग कर दी, जिसमें एक आरक्षी घायल हो गये। पुलिस टीम द्वारा की गयी आत्मरक्षार्थ कार्यवाही में पुरस्कार घोषित अभियुक्त नाजिम घायल हो गया, जिसे गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार अभियुक्त के कब्जे/निशादेही से 01 अवैध तमंचा 315 बोर मय जीवित/खोखा कारतूस, 01 टैम्पों वाहन आदि बरामद हुये। घायलों को उपचार हेतु अस्पताल भेजा गया।

उल्लेखनीय है कि गिरफ्तार अभियुक्त थाना इस्लामनगर पर पंजीकृत अभियोग में वॉछित चल रहा था, जिसकी गिरफ्तारी हेतु जनपद स्तर से 25

हजार रूपये का पुरस्कार घोषित था। गिरफ्तार अभियुक्त नाजिम के विरूद्धजनपद सम्भल, बदायूं के विभिन्न थानों पर हत्या का प्रयास, आर्म्स एक्ट, सीएस एक्ट, गैंगेस्टर एक्ट आदि के कई अभियोग पंजीकृत हैं।

इस सम्बन्ध में थाना इस्लामनगर पुलिस द्वारा अभियोग पंजीकृत कर विधिक कार्यवाही की जा रही है।

गिरफ्तार अभियुक्त

1—फिरोज निवासी मोहल्ला कुरैशियान कस्बा व थाना इस्लामनगर जनपद बदायूं।

2—नाजिम निवासी मोहल्ला वारिसनगर बिल्सी रोड कस्बा व थाना इस्लामनगर जनपद बदायूं।

बरामदगी

1—01 अवैध तमंचा 315 बोर मय जीवित/खोखा कारतूस।

2—01 टैम्पों वाहन आदि।

जनपद गोरखपुर/थाना कैण्ट

- **03 अभियुक्त गिरफ्तार**
- **लूट का 08 मोबाइल फोन**
- **82 हजार 50 रूपये नगद**
- **लूट का 02 आधार कार्ड**
- **आधार कार्ड, चेकबुक**
- **घटना में प्रयुक्त 01 चार पहिया वाहन आदि बरामद**

दिनॉकः 21.08.2024 को थाना कैण्ट पुलिस टीम द्वारा सूचना के आधार पर रानीडिहा इंजनियरिंग कालेज के पास से 03 अभियुक्तों 1—लक्ष्मीकान्त उर्फ राणा उर्फ अजय 2—अंगद कुमार 3—वासुदेव को गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार अभियुक्तों के कब्जे/निशादेही से लूट का 08 मोबाइल फोन, 82 हजार 50 रूपये नगद, लूट का 02 आधार कार्ड, आधार कार्ड, चेकबुक, घटना में प्रयुक्त 01 चार पहिया वाहन आदि बरामद हुये।

उल्लेखनीय है कि गिरफ्तार अभियुक्त लक्ष्मीकान्त उर्फ राणा उर्फ अजय के विरूद्ध जनपद गोरखपुर, सन्तकबीरनगर, कमिश्नरेट वाराणसी के विभिन्न थानों पर लूट, अपहरण, धोखाधड़ी, गैंगेस्टर एक्ट आदि के 08 अभियोग, अभियुक्त अंगद कुमार व वासुदेव के विरूद्ध जनपद गोरखपुर के थाना कैण्ट पर लूट आदि के लगभग आधा–आधा दर्जन अभियोग पंजीकृत हैं।

इस सम्बन्ध में थाना कैण्ट पुलिस द्वारा विधिक कार्यवाही की जा रही है।

गिरफ्तार अभियुक्त

1–लक्ष्मीकान्त उर्फ राणा उर्फ अजय निवासी ग्राम परमेठ थाना करंडा जनपद गाजीपुर।

2–अंगद कुमार निवासी आबादी शखनी थाना गुलरिया जनपद गोरखपुर।

3–वासुदेव निवासी ग्राम सटोरा थाना सिकरीगंज जनपद गोरखपुर।

बरामदगी

1–लूट का 08 मोबाइल फोन।

2–82 हजार 50 रूपये नगद।

3–लूट का 02 आधार कार्ड।

4–आधार कार्ड, चेकबुक।

5–घटना में प्रयुक्त 01 चार पहिया वाहन आदि।

जनपद ललितपुर/थाना बार

- **07 अभियुक्त गिरफ्तार**
- **चोरी की 06 मोटर साइकिल**
- **01 अवैध तमंचा 315 बोर मय जीवित कारतूस आदि बरामद**

दिनॉक:22.08.2024 को थाना बार पुलिस टीम द्वारा सूचना के आधार पर ग्राम लडवारी तिराहा से परौन रोड लडवारी गॉव की तरफ जाने वाले कच्चे रास्ते के पास से 07 अभियुक्तों 1–जैकी राजा 2–राजदीप 3–सूर्य प्रताप 4–रानू 5–प्रदुम्म 6–शिवम उर्फ छोटू 7–शशि राजा उर्फ देव राजा को गिरफ्तार किया

गया। गिरफ्तार अभियुक्तों के कब्जे/निशादेही से चोरी की 06 मोटर साइकिल, 01 अवैध तमंचा 315 बोर मय जीवित कारतूस आदि बरामद हुये।

इस सम्बन्ध में थाना बार पुलिस द्वारा अभियोग पंजीकृत कर विधिक कार्यवाही की जा रही है।

गिरफ्तार अभियुक्त

1–जैकी राजा निवासी बरीकला थाना तालबेहट जनपद ललितपुर।

2–राजदीप निवासी ग्राम रामपुर थाना तालबेहट जनपद ललितपुर।

3–सूर्य प्रताप निवासी ग्राम बौलारी थाना तालबेहट जनपद ललितपुर।

4–रानू निवासी बरीकला थाना तालबेहट जनपद ललितपुर।

5–प्रदुम्म निवासी मिर्चवारा थाना बार जनपद ललितपुर।

6–शिवम उर्फ छोटू निवासी मिर्चवारा थाना बार जनपद ललितपुर।

7–शशि राजा उर्फ देव राजा निवासी ग्राम बम्हारी थाना करेरा जनपद शिवपुरी, म0प्र0।

बरामदगी

1–चोरी की 06 मोटर साइकिल।

2–01 अवैध तमंचा 315 बोर मय जीवित कारतूस आदि।

जनपद अलीगढ़/थाना अकराबाद

- **04 अभियुक्त गिरफ्तार**
- **चोरी की 05 दो पहिया वाहन बरामद**

दिनॉकः 22.08.2024 को थाना अकराबाद पुलिस टीम द्वारा सूचना के आधार पर थाना क्षेत्र से 04 अभियुक्तों 1–विवेक प्रताप 2–योगेश उर्फ लुक्का 3–नित्यम 4–आकाश को गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार अभियुक्तों के कब्जे/निशादेही से चोरी की 05 दो पहिया वाहन बरामद हुये।

इस सम्बन्ध में थाना अकराबाद पुलिस द्वारा अभियोग पंजीकृत कर विधिक कार्यवाही की जा रही है।

<u>गिरफ्तार अभियुक्त</u>

1–विवेक प्रताप निवासी कीरतपुर थाना अकराबाद जनपद अलीगढ़।

2–योगेश उर्फ लुक्का निवासी अकराबाद थाना अकराबाद जनपद अलीगढ़।

3–नित्यम निवासी कैलनपुर थाना अकराबाद जनपद अलीगढ़।

4–आकाश निवासी टुआमई थाना अकराबाद जनपद अलीगढ़।

<u>बरामदगी</u>

1–चोरी की 05 दो पहिया वाहन।

- **<u>जनपद शाहजहॉपुर/थाना सदरबाजार (प्रभावी पैरवी के फलस्वरूप मा0 न्यायालय द्वारा 03 अभियुक्तों को आजीवन कारावास की सजा व 36 हजार रूपये अर्थदण्ड)</u>**

जनपद शाहजहॉपुर पुलिस द्वारा प्रभावी पैरवी के फलस्वरूप मा0 न्यायालय जनपद शाहजहॉपुर द्वारा थाना सदरबाजार पर पंजीकृत अभियोग में धारा 302/34/504 भादवि के अन्तर्गत अभियुक्त 1–सोनू 2–गजोधर 3–गुलजारी को आजीवन कारावास व प्रत्येक को 12–12 हजार रूपये अर्थदण्ड की सजा सुनाई गयी।

- **<u>जनपद रामपुर/थाना टाण्डा (प्रभावी पैरवी के फलस्वरूप मा0 न्यायालय द्वारा 06 अभियुक्तों को 07–07 वर्ष का कठोर कारावास की सजा व 03–03 लाख रूपये अर्थदण्ड)</u>**

जनपद रामपुर पुलिस द्वारा प्रभावी पैरवी के फलस्वरूप मा0 न्यायालय जनपद रामपुर द्वारा थाना टाण्डा पर पंजीकृत अभियोग में धारा 5/8 सीएस एक्ट के अन्तर्गत अभियुक्त 1–अब्दुल सलाम 2–बाबू 3–मो0 यासीन 4–मो0 रफी 5–मो0 इस्लाम 6–भूरा को 07–07 वर्ष के कठोर कारावास व प्रत्येक को 03–03 रूपये अर्थदण्ड की सजा सुनाई गयी।

- **<u>जनपद फिरोजाबाद (गैंगेस्टर एक्ट में लगभग 52 लाख 02 हजार रूपये कीमत की सम्पत्ति कुर्क/जब्तीकरण की कार्यवाही)</u>**

जनपद फिरोजाबाद पुलिस ने अभियुक्त मनोज कुमार पुत्र भीष्मपाल सिंह निवासी मोहिनीपुर थाना जसराना जनपद फिरोजाबाद हालपता–लक्ष्मीनगर बोझिया कस्बा व थाना शिकोहाबाद जनपद फिरोजाबाद द्वारा अवैध रूप से अर्जित की गयी चल/अचल सम्पत्ति कीमत करीब 52 लाख 02 हजार रूपये को गैंगेस्टर एक्ट की धारा 14(1) के अन्तर्गत कुर्क/जब्तीकरण की कार्यवाही अमल में लायी गयी।

- **<u>जनपद फिरोजाबाद (गैंगेस्टर एक्ट में लगभग 22 लाख 20 हजार 510 रूपये कीमत की सम्पत्ति कुर्क/जब्तीकरण की कार्यवाही)</u>**

जनपद फिरोजाबाद पुलिस ने अभियुक्त बदरूल रहमान पुत्र अजीजुर्रहमान निवासी मोहल्ला मोहम्मदगंज थाना दक्षिण जनपद फिरोजाबाद हाल पता–प्रेमनगर डांक बगला थाना रसूलपुर जनपद फिरोजाबाद द्वारा अवैध रूप से अर्जित की गयी चल/अचल सम्पत्ति कीमत करीब 22 लाख 20 हजार 510 रूपये को गैंगेस्टर एक्ट की धारा 14(1) के अन्तर्गत कुर्क/जब्तीकरण की कार्यवाही अमल में लायी गयी।

———